अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2006

(आय-कर)

का.आ. 2113(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, जीरो कूपन बंधपत्र के रूप में निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(क)	बंधपत्र का नाम	–	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड (आईडीएफसी) का बीस वर्षीय जीरो कूपन बंधपत्र
(ख)	बंधपत्र की जीवन अवधि	–	बीस वर्ष
(ग)	बंधपत्र के जारी होने का निश्चित समय	–	31 मार्च, 2009 को या उसके पूर्व जारी होने के लिए।
(घ)	बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर संदेय की जानी वाली रकम	–	प्रत्येक बंधपत्र के लिए दस लाख रुपए।
(ङ)	बट्टा	–	बंधपत्र के जारी होने के समय आईडीएफसी द्वारा विनिश्चय किया जाना है।
(च)	जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की संख्या	–	दस हजार

2. यह अधिसूचना आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 ख के उप-नियम (3) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) और उप-नियम (6) में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है।

[अधिसूचना सं. 374/2006, फा.सं. 142/45/2006-टीपीएल]

संबित त्रिपाठी, अवर सचिव